सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 8- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

विषय 8.4   जल बजट तैयार करने में विभाग तथा जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

विषय-8.4

जल बजट में विभाग तथा जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

मॉड्यूल 8 में सम्मिलित विषय:

1. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का परिचय
2. जल बजट का परिचय तथा उससे लाभ
3. जल बजट तैयार करने की प्रक्रिया
4. जल बजट तैयार करने में विभाग तथा जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

वर्षा उपरांत सिंचाई विभाग के द्वारा जल की उपलब्धता का आकलन कर कृषकों को दिए जाने वाले पानी की गणना कर उपलब्ध जल के आबंटन की योजना बनाकर कृषकों को जल वितरण कराते हैं।

इस हेतु एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जिला समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना का अनुमोदन संबंधित जिले की समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं

एवं सदस्यों में कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, नगरीय निकाय के जिला स्तरीय प्रमुख तथा जल उपयोगिता समिति के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं।
अनुमोदित प्रस्तावित योजना के अनुसार पानी के वितरण के संबंध में समितियों में ऐलान किया जाता है।
इसके लिए निम्न मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य हैं:-
* समस्त छोर के कृषक, उपयंत्री एवं कृषि विभाग के अधिकारी की सलाह से जल की अनुमानित उपलब्धता के अनुसार ही अपने खेत में फसल लगाएं।
* कार्यपालन यंत्री द्वारा बनाई गई योजना का पालन किया जाना चाहिए।

जल वितरण

जल बजट के अनुमोदन के पश्चात जल उपभोक्ता समिति समस्त कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए जल वितरण योजना बनाएगी।
जलाशय से या नहर से पानी छोड़ने व बंद करने की तारीख सभी सदस्यों को पूर्व में सूचित किया जाए।

जल बजट तैयार करने के लिए विभाग की भूमिका

1. उपलब्ध जल का सही आकलन - जल का आकलन जलाशय में जल के स्तर के आधार पर किया जाता है।

2. विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग
अ. पेयजल
ब. निस्तार
ब. उद्योग
द. पशुपालन, उद्यानिकी, व अन्य
की गणना कर कुल उपलब्ध जल से घटाकर किसानों को प्रदाय किए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात हो जाती है।

3. सिंचाई विभाग सर्वप्रथम वर्षाकाल के उपरांत जलाशयों में जल के स्तर को रेखांकित कर उनमें उपलब्ध जल की मात्रा मिलीयन घन मीटर में जलाशय वार रेकार्ड करता है। यह मात्रा जीवित जल भंडारण की मात्रा होती है।

4. जीवित जलभराव की स्थिति के अनुसार उपलब्ध जल की मात्रा को, 160-180 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रति मिलीयन घन मीटर के मापदंड के आधार पर सिंचाई का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया राज्य स्तर पर की जाती है।

5. किसानों द्वारा क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों का उनकी प्रजाति सहित विवरण पता कर किसानों को वितरित की जाने वाली जल की मात्रा जानी जा सकती है। इसमें होने वाले जल नुकसान जो नहरों में होगा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6. वितरित किए जाने वाले जल को किस किस समय पर कितनी कितनी मात्रा में किया जाना है, यह क्षेत्र में किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसल के अनुसार गणना किया जाना होगा।

7. उपलब्ध जल यदि पर्याप्त मात्रा में है तब तो वितरण की योजना फसलों के अनुसार, नहर की क्षमता के अनुसार की जा सकती है।

8. उपलब्ध जल की मात्रा वर्षा में कमी अथवा अन्य कारणों से कम होने पर किसानों को कृषि विभाग की सलाह पर उपलब्ध जल के अनुरूप फसल बोने के लिए प्रेरित कर तदनुसार जल वितरण की योजना बनाई जानी चाहिए।

9. उपरोक्त आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा किसानों, जल उपभोक्ता समिति व अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ चर्चा कर जल वितरण की विस्तृत योजना बनाकर उसे लागू करना चाहिए।

10. नहरों में वितरण इसके आधार पर किया जाता है यह जलाशय स्तर पर 1 क्यूसेक में 40 हेक्टेयर के मान से गणना कर मुख्य नहर से वितरिका और लघु नहरों तक वितरण की योजना सिंचाई संभाग और जल उपभोक्ता समिति की सलाह पर नियत की जाती है।

11. इस आधार पर हर स्तर पर जल बजट तैयार कर तदनुसार वितरण कर नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जाती है।

जल बजट तैयार करने में जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

जल बजट के अनुमोदन के बाद जल उपभोक्ता समिति सभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए योजना को इस तरह बनाएगी

1. नहर में पानी छोड़ने व बंद करने की तारीख समिति के सभी सदस्यों को पहले से सूचित किया जाए।
2. सभी किसानों को जरूरत के हिसाब से पानी मिल सके इसके लिए इस योजना का अक्षरशः पालन किया जाए
3. समिति जल वितरण की योजना का जांच परख नहर के जल प्रवाह के आधार पर करेगी
4. हर किसान को पानी का उपयोग केवल कार्य योजना के अनुसार ही करेगा।
5. हर कोलाबे के लिए वाराबंदी या ओसराबंदी की जाएगी।
6. सिंचाई विभाग के लिए समिति कमांड क्षेत्र में फसलवार पानी का रेकॉर्ड रखेगी।
7. समिति इस तरह की सही योजना की सतत निगरानी रखेगी।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और समझना भी जरूरी है। किसान चाहता है कि उसे समय से पानी मिल जाए और उसकी फसल अच्छी हो। यह तब ही संभव है जब विभाग को किसान की पानी की आवश्यकता का पता हो। जल उपभोक्ता समिति के किसानों की पानी की आवश्यकता का आकलन सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए ताकि यदि पूरी समिति के किसानों के पानी की आवश्यकता उनको उपलब्ध होने वाले पानी से अधिक है तो किसान साथी मिलकर अपनी फसल को बदल सकते हैं। इसके पश्चात हर स्तर पर जल वितरण की व्यवस्था मैदानी अमले द्वारा किसानों से सहभागिता कर यानि जल उपयोगिता समिति में चर्चा कर डिस्ट्रीब्यूटरी वार, माइनर वार, कोलाबा वार जल वितरण किया जाता है। इसी दौरान ओसराबंदी माइनर वार और वाराबंदी किसानवार लागू की जा सकती है।

इसके पश्चात समिति के अध्यक्ष तथा सिंचाई विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी तथा समिति के समस्त अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सहयोग से उपलब्ध जल की नहर/ कोलाबे में वास्तविक उपलब्धता के अनुसार सिंचाई हेतु जल को इस तरह उपलब्ध कराते हैं कि अंतिम छोर तक के कृषकों को उनकी फसल के अनुसार जल उपलब्ध हो सके।

स्वयं अभ्यास करें:
यदि एक जलाशय में उपलब्ध जीवित जल क्षमता, जो सिंचाई के लिए उपलब्ध है, 260 मिलीयन क्यूबिक मीटर है तो रबी सिंचाई कितने हेक्टेयर क्षेत्र में संभव होगी?